

कार्यालय महालेखाकार(ले. व ह.) पंजाव व यू.टी. चण्डीगढ़

का.अ. संख्या प्रशासन-2/क/23

दिनांक 12/11/2021

कार्यालय आदेश

भारत सरकार गृह मंत्रालय के कार्यालय पत्रांक संख्या स.फ. 29-113-66 एम.ए. दिनांक 20-05-67 और क्रमांक संख्या एस-14013/1/74 एम.सी. दिनांक 18-09-76 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अपने माता-पिता को आश्रित घोषित करवाना होता है। इसलिए इस कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अपने माता-पिता को वर्ष 2022 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अपने उपर आश्रित घोषित करवाना हो, वे अपने आवेदन पत्र **30/11/2021 तक** प्रशासन -2 अनुभाग में अवश्य दें दें। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें जो कि उनके माता-पिता के आश्रित होने का प्रमाण हो। निर्धारित तिथि 30/11/2021 के बाद वर्ष 2022 के लिए आश्रित घोषित करवाने हेतु कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवश्यक प्रपत्र/फार्म प्रशासन-2 अनुभाग से **3:30 से 4:30 सायं तक** कार्यालय दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

—(२-२) —  
व.ले.अ.(प्रशा-2)

पृष्ठांकन सं. प्र.-2/101(2) चिकित्सा निर्भरता 2021-22/421-26 दिनांक-12/11/2021  
उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. प्रवर निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. निजी सचिव उपमहालेखाकार(प्रशा/ लेखा एवं वी.एल.सी.)
3. निजी सचिव वरिष्ठ उपमहालेखाकार(पेंशन)
4. कल्याण अधिकारी
- ✓ 5. I.T. Sport Cell/सभी अनुभाग
6. सभी सूचना पट्ट

  
व.ले.अ.(प्रशा-2)